

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

'कचनार' ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक/ /वि.यो.09/टी.डी.आर.मेट्रो/उत्पादन क्षेत्र/नग्नानि/2021 भोपाल, दिनांक 2021
प्रति,

- | | |
|--|---|
| 1- आयुक्त,
भोपाल संभाग भोपाल (म0प्र0) | 2- कलेक्टर
जिला भोपाल (म0प्र0) |
| 3- संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय भोपाल (म0प्र0) | 4- आयुक्त
नगर पालिक निगम, भोपाल
जिला भोपाल (म0प्र0) |

विषय:- भोपाल मेट्रो रेल परियोजना हेतु हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के तहत उत्पादन क्षेत्र अधिसूचित किये जाने के लिए प्रकाशन बाबत ।

—0—

संचालक, तकनीकी मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल द्वारा भोपाल निवेश क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिए आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोपरि

/—
(अजीत कुमार)

आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल म.प्र.

2678
पृ0क्रमांक/ /वि.यो.09/टी.डी.आर.मेट्रो/उत्पादन क्षेत्र/नग्नानि/2021 भोपाल, दिनांक 17/6/2021
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई. टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल म.प्र.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश, भोपाल

कचनारई-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाने के पास, भोपाल- 462016

ई-मेल: mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष- 0755-2427091

क्रमांक: 2675

भोपाल, दिनांक: 17/6 /2021

उत्पादन क्षेत्र संबंधी अधिसूचना

क्रमांक: मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम 2018 के नियम 3(पांच) की शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित उत्पादन क्षेत्र को संचालक एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु भोपाल निवेश क्षेत्र में निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाए अनुसार प्रस्तावित करता है:

अनुसूची

(उत्पादन क्षेत्र)

भोपाल मेट्रो रेल परियोजना			
सरल क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	पिपलिया पेदे खां	18	0.00930
2	पिपलिया पेदे खां	13	0.17110
3	पिपलिया पेदे खां	12	0.07620
4	पिपलिया पेदे खां	11	0.01440
5	पिपलिया पेदे खां	8/1,9/2	0.03910
6	पिपलिया पेदे खां	8/2,9/1	0.14640
7	पिपलिया पेदे खां	7	0.03840
8	पिपलिया पेदे खां	6	0.09240
9	पिपलिया पेदे खां	4	0.47070
10	पिपलिया पेदे खां	3	0.01440
11	पिपलिया पेदे खां	10	0.42240

12	पिपलिया पेदे खां	292/11	0.01530
13	शाहपुरा	13	0.08840
14	पिपलिया पेदे खां	1	0.01800
15	शाहपुरा	13	0.23740
16	शाहपुरा	12	0.25020
17	शाहपुरा	17	0.46510
18	शाहपुरा	17	0.24640
19	शाहपुरा	16	0.82160
20	शाहपुरा	21	0.11359
21	शाहपुरा	22	0.10680
22	शाहपुरा	22	0.14830
23	शाहपुरा	24,300/73,315/49	0.18530
24	शाहपुरा	25	0.80280
25	शाहपुरा	25	0.92520
26	शहरभोपाल	1520	0.01930
27	शहरभोपाल	1507	0.00740
28	शहरभोपाल	1519	0.25550
29	शहरभोपाल	1519	0.68050
30	शहरभोपाल	1518	0.30780
31	शहरभोपाल	1518	0.19790
32	शहरभोपाल	1516	0.07100
33	शहरभोपाल	1512	0.01730
34	शहरभोपाल	1567/1515,1515	0.41600

35	शहरभोपाल	1517	0.28780
36	शहरभोपाल	1565/1516	0.21670
37	शहरभोपाल	1516	0.24540
38	शहरभोपाल	1564/1517	0.03010
39	शहरभोपाल	1513	0.02300
40	शहरभोपाल	1513	0.00680
41	शहरभोपाल	1516	0.01000
42	शहरभोपाल	1565/1516	0.00280
43	शहरभोपाल	956	0.33480
44	शहरभोपाल	957	0.24760
45	शहरभोपाल	958	0.16880
46	शहरभोपाल	944	0.60310
47	शहरभोपाल	956	0.08890
48	गोविंदपुरा	39	0.04440
49	गोविंदपुरा	55/37	0.01930
50	गोविंदपुरा	39	0.04170
51	गोविंदपुरा	38	0.07990
52	गोविंदपुरा	39	0.20580
53	गोविंदपुरा	37	0.22540
54	गोविंदपुरा	58/36	0.00870
55	गोविंदपुरा	59/36	0.00220
56	शहरभोपाल	868	0.02170
57	शहरभोपाल	921	0.30980

58	शहरभोपाल	1962/1066,1067,1068,1080,1658/1	0.03240
59	गोविंदपुरा	55/37	0.03350
60	गोविंदपुरा	56/37	0.11190
61	शहरभोपाल	943	0.03110
62	शहरभोपाल	944	0.01480

प्रस्तावित उत्पादन क्षेत्र घोषित किए जाने हेतु किए गए प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिए आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तावित उत्पादन क्षेत्र के संबंध में हो, तो वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किये जा सकते हैं।



(अजीत कुमार)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

मध्य प्रदेश, भोपाल